

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 131/25

अनवान

तारीख 05/06/25

01. रमेशचन्द्र पुत्र बालुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शम्भूलाल पुत्र बालुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.....प्रार्थी

01. गोपाल पुत्र कंवरलाल जाति भीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शंभूलाल पुत्र हीरालाल जाति भीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोदू पुत्र देवा जाति भीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रामेश्वर पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. बालु पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 09/09/25

प्रार्थना पत्र रमेशचन्द्र शम्भूलाल पुत्र बालुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा फतहनगर पटवार हल्का नयानगर में स्थित खाता संख्या 142 पर अंकित आराजी संख्या 820/255 रकबा 0.2833 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 147 पर अंकित आराजी संख्या 871/256 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 168 पर अंकित आराजी संख्या 1427/820 रकबा 0.2833 हैक्टेयर पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा फतहनगर पटवार हल्का नयानगर में स्थित खाता संख्या 142 पर अंकित आराजी संख्या 820/255 रकबा 0.2833 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 147 पर अंकित आराजी संख्या 871/256 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 168 पर अंकित आराजी संख्या 1427/820 रकबा 0.2833 हैक्टेयर बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 131/25

तारीख 5/6/25

दिनांक 9/9/25

प्रेषित :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 131 ..... / 2025 पत्थरगढ़ी बाबत।

01. रमेशचन्द्र पुत्र बालुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शम्भूलाल पुत्र बालुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

## बनाम

01. गोपाल पुत्र कंवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शंभूलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. गोदू पुत्र देवा जाति जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. रामेश्वर पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) *विरोध*
05. बालु पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा फतहनगर पटवार हल्का नयानगर में स्थित खाता संख्या 142 पर अंकित आराजी संख्या 820/255 रकबा 0.2833 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 147 पर अंकित आराजी संख्या 871/256 रकबा 0.1619 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 168 पर अंकित आराजी संख्या 1427/820 रकबा 0.2833 हैक्टेयर की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया

